NIC

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 4, 2014/फाल्गुन 13, 1935
No. 61] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 4, 2014/PHALGUNA 13, 1935

कोयला मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2014

फा. सं. 13011/4/2007- सीए II/खंड V/भाग-III.—सरकार ने 27 जून, 2013 को कोयला विनियामक प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

जबकि कोयला मंत्रालय ने 13.12.2013 को लोक सभा में कोयला विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013 प्रस्तुत किया है और जब कि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक विस्तृत विधान के अधिनियमन के लंबित रहने तक एक अंतरिम निकाय का गठन करना और उसका प्रचालन करना आवश्यक है जब तक प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण का गठन होता है।

इसलिए अब भारत सरकार कोयला मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला विनियामक प्राधिकरण का एतद्द्वारा निम्नानुसार गठन करती है।

(i) प्राधिकरण का मुख्य कार्य कच्चे कोयले, धुले हुए कोयले और कोयले की धुलाई की प्रक्रिया के दौरान सृजित किसी अन्य उपोत्पादों की कीमत के निर्धारण के सिद्धांतों और तौर-तरीकों, स्वत :कोयला नमूनाकरण एवं भार तौलन के लिए क्रियाविधि, खान सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र के सिवाय मानक एवं प्रचालन कार्य कुशलताओं के कार्य निष्पादन के मानकों, कोयला क्षेत्र की नीतियों के प्रतिपादन, कोयला उद्योग में क्रियाकलापों की प्रतिस्पर्धा, कार्यकुशलता और अर्थव्यवस्था के संवर्धन के संबंध में किसी तरीके और कोयला लिंकेज के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए कोयला ब्लॉकों के निर्धारण तथा आवंटन कोयला संसाधनों के खनन तथा संरक्षण में सुधार लाने के लिए विभिन्न खनन प्रौद्योगिकियों एवं विकास, परिष्करण के तौर-तरीकों को तैयार करने के लिए केंद्रीय सरकार को सलाह देना होगा।

(ii) प्राधिकरण का एक अध्यक्ष और निम्नलिखित 4 सदस्य होंगे, अर्थात :-

(क) एक सदस्य (विधिक)

(ख) एक सदस्य (तकनीकी)

(ग) एक सदस्य (वित्त); और

(घ) एक सदस्य (उपभोक्ता हित),

जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(iii) प्राधिकरण सदस्यों में से किसी एक सदस्य को सदस्य (प्रशासन) के रूप में पदनामित करेगा जो उन्हें निहित ऐसे वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(iv) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

(v) अध्यक्ष तथा सदस्य की योग्यता निम्नानुसार होगी :-

(क) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक उसके पास खनन, विधि, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, वित्त, प्रबंधन अथवा लोक. प्रशासन से संबंधित समस्याओं का हल निकालने का पर्याप्त ज्ञान और अनुभव नहीं होगा :

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में है या रहा है, को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति तब तक नहीं की जाएगी जब तक वह भारत सरकार के सचिव की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का पद धारण नहीं कर रहा है या उसने ऐसा पद धारण नहीं किया है।

(ख) कोई व्यक्ति सदस्य (विधिक) को रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक वह भारतीय विधिक सेवा का सदस्य नहीं है और उसने सात वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए उस सेवा का ग्रेड – 1 पद धारण न किया हो या उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष के लिए कोई सिविल न्यायिक पद धारण न किया है।

(ग) कोई व्यक्ति सदस्य (तकनीकी) के रूप में अर्ह नहीं होगा जब तक उसके पास इंजीनियरी में स्नातक डिग्री ना हो और उसके पास कोयला खनन उद्योग में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव न हो।

(घ) कोई व्यक्ति सदस्य (वित्त) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक उसके पास वित्त के साथ व्यवस्था प्रशासन अथवा समकक्ष में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ – साथ वित्तीय मामलों में पन्द्रह वर्ष से कम का अनुभव नहीं है।

(ड.) कोई व्यक्ति सदस्य (उपभोक्त हित) के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हं नहीं होगा जब तक उसके पास विद्युत, इस्पात अथवा सीमेंट से संबंधित क्षेत्रों में पन्द्रह वर्ष से कम का अनुभव नहीं है।

(vi) प्राधिकरण का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी पद को धारण नहीं करेगा।

(vii) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति होगी जिसका गठन निम्नलिखित अधिकारियों से होगा :

(क) मंत्रिमंडल सचिव – अध्यक्ष

(ख) सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार – सदस्य

(ग) सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार - सदस्य

(घ) सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय – सदस्य

(ड.) लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष – सदस्य

(च) केंद्र सरकार द्वारा ख्याति प्राप्त इंजीनियरिंग अथवा प्रबंध संस्थानों के निदेशक अथवा प्रधानों में से नामित एक व्यक्ति – सदस्य

(viii) केंद्र सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने के कारण किसी भी रिक्ति की तारीख से यथासंभव शीघ्र और किसी भी अध्यक्ष या सदस्य की अधिवर्षिता की अवधि के अंत से छः माह पूर्व रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति को निर्देश देगी।

(ix) अध्यक्ष अथवा सदस्यों की कोई नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्त के कारण अमान्य नहीं होगी ।

(x) चयन समिति उसको निर्दिष्ट प्रत्येक रिक्ति के लिए न्यूनतम दो नामों के पैनल की सिफारिश करेगी।

(xi) केंद्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि वह–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है; या

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ड.) जिसने अपने पद का ऐसा दुरूपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है; या

(च) जो किसी मामले में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है; या

(छ) सिद्ध कदाचार का दोषी रहा है:

परंतु किसी अध्यक्ष या अन्य सदस्य को, खंड (घ) या खंड (ड.) या खंड (च) या खंड (छ) के अधीन उसके पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार का, इस प्रयोजन के लिए और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो इस निमित्त विहित की जाए नियुक्त किसी व्यक्ति या गठित प्राधिकरण द्वारा कोई जांच करने के पश्चात यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे आधार या आधारों पर हटाया जाना चाहिए।

(xii) केंद्रीय सरकार, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जिसके संबंध में कोई जांच आरंभ की जा रही हो, तब तक पद से निलंबित कर सकेगी जब तक केंद्रीय सरकार ने जांच प्राधिकारी की रिपोर्ट की प्राप्ति कर कोई आदेश पारित न किया हो।

(xiii) अध्यक्ष अथवा सदस्य, विधान के अधिनियमन के बाद प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के गठित होने तक 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पहले हो।

(xiv) अध्यक्ष तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव को यथा स्वीकार्य वेतन प्राप्त करेंगे।

(xv) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में उनका वेतन और भत्ते प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद भिन्न नहीं होंगे।

(xvi) अध्यक्ष तथा सदस्य वे सभी भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो भारत सरकार के सचिव को स्वीकार्य होंगे।

(xvii) अध्यक्ष कोई सदस्य केंद्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर अध्यक्ष या ऐसे सदस्य का पद रिक्त समझा जाएगा।

(xviii) अध्यक्ष या यदि वह प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(xix) अध्यक्ष को प्राधिकरण के कार्यकलापों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्ति होगी और वह प्राधिकरण के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(xx) केंद्रीय सरकार अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन अधिसूचना के द्वारा ऐसी शक्तियों तथा कार्यों का निर्वहन करने के लिए सचिव की नियुक्ति कर सकती है।

(xxi) प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति उतनी संख्या में कर सकता है जितनी संख्या में प्राधिकरण के कार्यकाल तक अपने कार्यों के निर्वहन में प्राधिकरण की सहायता करने के लिए अपेक्षित हों।

(xxii) प्राधिकरण, उसके कार्यों के निर्वहन में ऐसी शर्तों तथा निबंधनों जिन्हें विनियमनों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अपेक्षित परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकती है।

(xxiii) सरकार कोयला विनियामक प्राधिकरण द्वारा व्यय किए गए खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त अनुदान करेगी। प्राधिकरण समुचित लेखा और अन्य प्रासंगिक रिकार्ड रखेगा और वार्षिक लेखा विवरण उसी रूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारतीय नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श के माध्यम से केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। प्राधिकरण के लेखाओं की जांच भारतीय नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(xxiv) प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष में एक बार यथा निर्धारित रूप में तथा समय पर पिछले 5 वर्षों के दौरान कार्यवाहियों और नीतियों से संबंधित सूचना सहित अपने कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट में प्राधिकरण के वार्षिक लेखाओं के विवरण भी दिए जाएंगे। रिपोर्ट की एक प्रति केंद्रीय सरकार को

अग्रेषित की जाएगी और केंद्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के सम्मुख ऐसी रिपोर्ट को प्रस्तुत करवायेगी।

(xxv) इस संकल्प के प्रावधान खानों में सुरक्षा, वन और पर्यावरण से संबंधित लागू किसी भी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे।

यह संकल्प 04 मार्च, 2014 से लागू समझा जाएगा।

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

RESOLUTION

New Delhi, the 4th March, 2014

F. No. 13011/04/2007-CA II/Vol.V/pt. III. – The Government has on 27th June, 2013 approved the proposal to constitute the Coal Regulatory Authority.

Whereas, the Ministry of Coal has introduced the Coal Regulatory Authority Bill, 2013 on 13th December, 2013 in the Lok Sabha, and whereas the Government is satisfied that pending the enactment of a comprehensive legislation it is necessary to constitute and make operational an interim body till the proposed statutory Authority is constituted;

Now, therefore, the Government of India do hereby constitute the Coal Regulatory Authority (CRA) under the overall administrative control of the Ministry of Coal as follows:

(i) The primary function of the Authority shall be to advice the Central Government on the formulation of the principles and methodologies for determination of price of raw coal, washed coal and any other by-product generated during the process of coal washing; on the procedure for automatic coal sampling and weighment, on standards of performance of norms and operational efficiencies except to the area related to mines safety; on formulation of policies in coal sector, including allotment or earmarking of coal blocks for any purpose, through any mode, and coal linkage; on promotion of competition, efficiency and economy in activities of the coal industry; on promotion of investment in coal industry; on development of various mining technologies, beneficiation methods to improve mining and conservation of coal resources;

(ii) The Authority shall consist of a Chairperson and the following four Members, namely:-

(a) One Member (Legal);
(b) One Member (Technical);
(c) One Member (Finance); and
(d) One Member (Consumer interest),

to be appointed, by the Central Government;

(iii) The Authority shall designate any one of the members as Member (Administration) who shall exercise such financial and administrative powers as may be vested in him;

(iv) The head office of the Authority shall be in the National Capital Territory of Delhi;

(v) The qualification of the chairperson and members shall be as under, -

(a) A person shall not be qualified for appointment as the Chairperson unless he has adequate knowledge and experience of not less than fifteen years in dealing with problems relating to mining, law, economics, commerce, finance, management or public administration:

Provided that a person who is or has been in the service of Government shall not be appointed as Chairperson unless he is holding or has held the post not below the rank of Secretary to the Government of India;

(b) A person shall not be qualified for appointment as Member (Legal) unless he is or has been a member of the Indian Legal Service and has held Grade I post of that service for a period of not less than seven years or who has held a civil judicial post for at least fifteen years in the territory of India or who is qualified to be a Judge of High Court;

(c) A person shall not be qualified for appointment as a Member (Technical) unless he possesses a Bachelor's degree in engineering and has the experience of not less than fifteen years in coal mining industry;

(d)A person shall not be qualified for appointment as a Member (Finance) unless he possesses a Master's degree in Business Administration with Finance or equivalent and has the experience of not less than fifteen years in the field of financial matters;

(e) A person shall not be qualified for appointment as a Member (consumer interest) unless he has the experience of not less than fifteen years in sectors relating to power, steel or cement.

(vi) The Chairperson, or any other Member of the Authority, shall not hold any other office during the term of his office.

(vii) The Chairperson and Members of the Authority, shall be appointed on the recommendation of a Selection Committee consisting of,-

(a) Cabinet Secretary – Chairperson;

(b) the Secretary to the Government of India, Ministry of Coal – Member;

(c) the Secretary to the Government of India, Ministry of Power – Member;

(d) the Secretary to the Government of India, Ministry of Law and Justice – Member;

(e) the Chairman of the Public Enterprises Selection Board – Member;

(f) a person nominated by the Central Government from amongst directors or heads or Professors of a reputed engineering or management Institute – Member.

(viii) The Central Government shall, as soon as possible from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or a Member and six months before the superannuation or end of tenure of any Chairperson or Member, make a reference to the Selection Committee for filling up of the vacancy.

(ix) No appointment of the Chairperson or Members shall be invalid merely by reason of any vacancy in the Selection Committee.

(x) The Selection Committee shall recommend a panel of a minimum of two names for every vacancy referred to it.

(xi) The Central Government may remove from office the Chairperson or a Member, who—

(*a*) has been adjudged as insolvent; or

(*b*) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(*c*) has become physically or mentally incapable of acting as Chairperson or a Member; or

(*d*) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as Chairperson or a Member; or

(*e*) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(*f*) acts as an arbitrator in any matter; or

(*g*) has been guilty of proved misbehaviour:

Provided that no Chairperson or Member shall be removed from office under clause (*d*) or clause (*e*) or clause (*f*) or clause (*g*) unless the Central Government, after holding an inquiry by a person appointed or authority constituted for the purpose and in accordance with such procedure as may be prescribed in this behalf, is satisfied that such person ought, on such ground or grounds, to be removed.

(xii) The Central Government may suspend the Chairperson or a Member from office against whom an inquiry has to be held until the Central Government has passed an order on receipt of the report of the inquiry authority.

(xiii) The Chairperson or Members shall hold Office till the proposed Statutory Authority is constituted after enactment of the legislation or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

(xiv) The Chairperson and Members shall receive pay as admissible to the Secretary to the Government of India.

(xv) In the case of appointment of government servants as Chairperson or Member, their salary and allowances shall not be varied to their disadvantage after appointment in the Authority.

(xvi) The Chairperson and Members shall be entitled to other allowances as admissible to the Secretary to Government of India.

(xvii) The Chairperson or a Member may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted, the Chairperson or such Member shall be deemed to have vacated his office.

(xviii) The Chairperson or, if he is unable to attend a meeting of the Authority, the senior most Member present in the meeting, shall preside over the meeting.

(xix) The Chairperson shall have the powers of general superintendence and directions in the conduct of the affairs of the Authority and shall, in addition to presiding over the meetings of the Authority, exercise and discharge such other powers and functions of the Authority, as may be assigned to him by the Central Government.

(xx) The Central Government may, by notification, appoint a Secretary to exercise and perform such powers and duties, under the control of the Chairperson.

(xxi) The Authority may, with the approval of the Central Government, appoint such number of officers and employees as are required to assist the Authority in the discharge of its functions till the term of the Authority.

(xxii) The Authority may appoint consultants required to assist the Authority in the discharge of its functions on such terms and conditions as may be decided by him with the approval of Central Government.

(xxiii) The Government will provide adequate grants for meeting the expenses incurred by the Coal Regulatory Authority. The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.

(xxiv) The Authority shall prepare once every year in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a summary of its activities including information relating to the proceedings and policies during the previous year and such report shall also contain statement of annual accounts of the Authority. A copy of the report shall be forwarded to the Central Government and the Central Government shall cause such report to be laid, as soon as may be after it is received, before each House of Parliament.

(xxv) The provisions of this Resolution shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force, relating to safety in mines, forests and environment.

This Resolution shall deem to be effective from 4th March, 2014.

A.K. BHALLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.